जनपद न्यायालय कानपुर देहात।
नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **वाहन स्टैण्ड** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनाँक 12.08.2026 तक कार्यालय समय में नजारत अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 13.08.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **नीलामी खुली बोली के आधार पर** समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारत अनुभाग से दिनाँक 01.08.2026 से 11.08.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त वाहन स्टैण्ड की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत कर सकते हैं।

3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।

4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड,का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड, को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **40000/- रुपये** का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के नाम देय होगा।

6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

8 स्वीकृति के उपरान्त निविदाकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 15 दिवस में जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।

10 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात द्वारा की जाएगी।

11 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का आदेश अन्तिम होगा।

12 उपरोक्त वाहन स्टैण्ड के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-31.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(सुरेन्द्र सिंह-III)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं015
कानपुर देहात।